मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-09.07.2014 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार के 90% मामलों में हार होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की जांच करने एवं अच्छे Lawyer hire करते हुए अच्छे ढंग से पैरबी करने का निर्देश दिया गया।

3. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा शीघ्र सभी विभागों में विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का निदेश दिया ताकि लंबित मामलों का अनुश्रवण (Monitoring) हो सके।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग में अवमाननावाद के कुल 239 मामलों में से 140 लंबित है एवं CWJC के 657 मामले लंबित है। विभाग के सचिव द्वारा यह सूचना दी गई कि अवमाननावाद के 16 मामलों में विभाग मुख्य पार्टी (Substantial Party) है बाकि में औपचारिक प्रतिवादी (Performa Party) है। CWJC के अधिकांश मामले नगर निकायों के हैं। सिर्फ 10 मामले विभाग से संबंधित है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया।

5. पथ निर्माण विभाग में अवमाननावाद के 25 मामले एवं CWJC के 80 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा लंबित मामलों में शीघ्र कारणपृच्छा/प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

6. समाज कल्याण विभाग में अवमाननावाद के 4 मामले एवं CWJC के 122 मामले लंबित हैं। विभाग के प्रधान सचिव द्वारा लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का आवश्वासन दिया गया है।

7. शिक्षा विभाग में अवमाननावाद के 303 मामले एवं CWJC के 2487 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा Review कर मामलों की संख्या में कमी लाने का निदेश दिया गया एवं विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति के अनुरोध पर अधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश दिया गया।

8. कृषि विभाग में अवमाननावाद के 7 मामले एवं CWJC के 54 मामले लंबित हैं। विभाग के द्वारा यह सूचना दी गई कि अधिकांश मामले सेवांत लाभों से संबंधित है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

9. ग्रामीण विकास विभाग में अवमाननावाद के 3 एवं CWJC के 157 मामले लंबित हैं। समीक्षा के क्रम के मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विभाग के प्रधान सचिव को सप्ताहिक बैठक कर वादों की संख्या में कमी लाने का प्रयास करने का निदेश दिया गया।

10. समीक्षात्मक बैठक में अवमाननावाद एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले में धीमी प्रगति को देखते हुए मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को व्यक्गित स्तर पर रूचि लेते हुए अवमाननावाद एवं सी0डब्लू0जे0सी0 मामले में कमी लाने का निदेश दिया गया।

11. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामले में 4 सप्ताह के अन्दर शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगली बैठक में अवगत करायेंगे। समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित

प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था लेकिन अधिकांश विभागों द्वारा बैठक के दिन या एक दिन पूर्व विधि विभाग को अधूरा प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समय एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं मिलने पर मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देशित किया गया कि प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में बैठक के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को निर्देशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अतः अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

16/7

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका ए0 109/2013/5180 जे0 पटना, दिनांक- 17.07.14

प्रतिलिपि: सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/7

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक याचिका ए0 109/2013/5180 जे0 पटना, दिनांक- 17.07.14

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/7

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।